

रेलवे भर्ती बोर्ड:सिकंदराबाद
सीईएन सं. 04/2024,पारामेडिकल
परिणाम - भाग- IV

सीईएन 04/2024 - पारामेडिकल के तहत पूर्व तट रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के लिए दिनांक 23.12.2025 के अनंतिम परिणाम भाग-III के क्रम में, निम्नलिखित 07 (सात) अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चयनित और नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। उनके रोल नंबर क्षैतिज आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं (मेरिट क्रम में नहीं)।

श्रेणी सं.01 (पू.त.रे) – नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट			
28424014240187480	केवल 1 (एक) अभ्यर्थी		
श्रेणी सं.01 (दमरे) – नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट			
28424014260318371	28424014280489010	28424014290038225	केवल 03 (तीन) अभ्यर्थी
श्रेणी सं.07 (दमरे) – लेबोरेटरी सहायक ग्रेड II			
28424071150160534	28424074140457167	केवल 02 (दो) अभ्यर्थी	
श्रेणी सं.10 (दमरे) – रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन			
28424101190096327	केवल 01 (एक) अभ्यर्थी		

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई, योग्यता शर्तों और मूल दस्तावेजों का आगे का सत्यापन (अर्थात् शैक्षिक/तकनीकी योग्यता जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी पूर्ववृत्त आदि) की जांच प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ पू.त.रे. एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / दमरे के कार्यालय द्वारा सीईएन संख्या 04/2024, पारामेडिकल में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थियों को क्रमशः प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.त.रे. एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / दमरे के कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण:

- यह परिणाम अनंतिम है और इससे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने त्रुटि/ टाइपोग्राफिकल गलती की स्थिति में परिणाम को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया जाता है या उसे नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम रद्द / संशोधित करने और ऐसे अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल होने को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले ही नियुक्त होने की स्थिति में योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत को मूलभूत आधार मानते हुए उसे सेवा से हटाया जा सकता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को सीईएन 04/2024 - पारामेडिकल के सभी चयनित पदों के लिए नीचे उल्लिखित कारणों से अयोग्य घोषित कर अस्वीकृत किया गया है:

विभिन्न विसंगतियों के कारण अस्वीकृत

28424011280052621	28424012280362773	28424104120062568	केवल 03 (तीन) अभ्यर्थी
-------------------	-------------------	-------------------	------------------------

दिनांक: 07.05.2026

अधोहस्ताक्षरी /-
अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड/सिकंदराबाद